



18/2/18

186

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर मध्यप्रदेश

निगरानी छतरपुर श.स. 2018 1627  
बट्टूलाल तनय रामस्वरूप अहीर निवासी ग्राम डडिया तह. चंदला जिला छतरपुर म.प्र.

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

.....अनावेदक / प्रतिनिगराकार

म.प्र. शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959 के अंतर्गत निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्र.क. 67/स्व.प्रे.निग./2012-13, म.प्र. शासन विरुद्ध बट्टूलाल आदेश दि. 16.08.2017 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानीकर्ता की ओर से सादर विनय प्रस्तुत है:-

यह कि, संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि, ग्राम डडिया स्थित भूमि ख.नं. 129, 246, 273, 278 किता 4 रकबा कमशः 0.324, 0.809, 0.139, 0.378 हेक्टे. पूर्व तह. लवकुशनगर जिला छतरपुर की भूमि का आवेदकगण को वर्ष 1984 के पहले से कब्जा होने के कारण श्रीमान नायब तहसीलदार बछौन तह. लवकुशनगर के रा.प्र.क. 204/अ-19 '4'/1987-88 में पारित आदेश दि. 29.06.88 को विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत आवेदक को पात्र मानते हुए उपरोक्त भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। उक्त व्यवस्थापन आदेश दि. 29.06.88 के बाद 28 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद अधीक्षक भूअभिलेख के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा न्यायालय प्र.क. 67/स्व.प्रे.निग./2012-13 पंजीबद्ध कर मिथ्या जांच के आधार पर नायब तहसीलदार बछौन के व्यवस्थापन आदेश दि. 29.06.88 को अवैधानिक रूप से स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर आवेदक का पट्टा अवैधानिक तरीके से लम्बे अंतराल बाद दि. 16.08.2017 आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता यह निगरानी मान. न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

निगरानी के आधार

3

Amz

FEB 2018

श्री अनिल कुमार चौक  
... विधि सागर द्वारा प्रस्तुत.  
अधीक्षक  
कांचलिय कमिश्नर, सागर तम्बाग,  
सागर (म. प्र.)

26  
23/2/18

-2-

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

-----

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1627

बट्टीलाल

विरुद्ध

म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 67/स्वप्रेरणा निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

3

*Amr. K. Jena*  
(अमर के. जैन)  
सदस्य  
07/3/19